

संजय शर्मा
08/08/19
5-2-19

I

Emad

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-.....

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-22/2016-413/श्री राजू कुमार मिश्र, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं पर्यवेक्षण कार्य का अभाव, अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण उत्पाद राजस्व की हानि होना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमामवली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं करना एवं अधीनस्थ सरकारी सेवक पर नियंत्रण का अभाव आदि के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-891 दिनांक 17.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में पूर्ण विचारोपरांत अधिसूचना सं0-4188 दिनांक 05.09.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (v) के तहत श्री राजू कुमार मिश्र, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी के 03 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0नं0-17347/2016 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 27.11.2018 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया है:-


" In both the counts, the order passed by the Special Secretary, Bihar, Patna, containing memo no. 3156 dated 05.07.2016 does not survive, accordingly the same is quashed. The matter is remanded back to the disciplinary authority to consider the case of the petitioner afresh and take decision in accordance with law within a period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order. It is clarified that this court is not giving any opinion on the merit of the case.

With the aforesaid observations and directions, this writ petition is allowed to the aforesaid extent.

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमानुसार नये सिरे से कार्रवाई करने हेतु अधिसूचना सं0-4188 दिनांक 05.09.16 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-22/2016 - 413/

पटना, दिनांक- 05.02.19


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,

बिहार, पटना। 05.02.19
पटना, दिनांक-

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-22/2016 - 413/

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री राजु कुमार मिश्र, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।